



सं.एचएलएल/सीएस/III-152(एच)/2025

11 फरवरी 2025

58वीं स्थगित वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य निबाहने के लिए एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के शेयरधारकों की 58वीं स्थगित वार्षिक सामान्य बैठक 13 फरवरी, 2025, पूर्वाह्न 11.00 बजे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओवीएएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

सामान्य कार्य :

1. विचार करना और अंगीकार करना
(क) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ-साथ निदेशक मंडल और सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी & ए जी) की टिप्पणियाँ।
(ख) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी & ए जी) की टिप्पणियाँ।
2. 31 मार्च, 2024 को (प्रदत्त शेयर पूँजी का 129% है) समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रु.20 करोड़ लाभांश घोषित करना।

बोर्ड के आदेशानुसार

जयकृष्णन ए.आर
कंपनी सचिव

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 11 फरवरी 2025

No.HLL/CS/III-152(h)/2025

11th February 2025

N O T I C E OF THE 58th ADJOURNED ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 58th Adjoined Annual General Meeting of the Shareholders of HLL will be held on 13th February 2025 at 11.00 AM through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OVAM") to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESSES:

1. To consider and adopt
 - a) The audited Standalone Financial Statements of the Company for the year ended 31st March 2024 along with the Report of the Directors and Statutory Auditors together with comments of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) thereon.
 - b) the audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st March 2024 alongwith the Report of the Statutory Auditors together with comments of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) thereon.
2. To declare dividend amounting to INR 20Cr. for the financial year ended 31st March, 2024 (*being 129 % of the paid-up share capital*).

By the order of the Board of Directors

**Jaikrishnan A. R.
Company Secretary**

Place: Thiruvananthapuram
Date: 11th February 2025



स्थगित वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में टिप्पणी :

1. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर सदस्यों द्वारा 23 दिसंबर 2024 को मूल रूप से आयोजित 58वाँ वार्षिक सामान्य बैठक में विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) की टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई थीं। 23 दिसंबर 2024 को आयोजित एजीएम के बाद, सीएजी ने 3 जनवरी 2025 को एचएलएल के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण 2023-24 पर पूरक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की।
2. सदस्य 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रु.20 करोड़ (प्रदत्त शेयर पूँजी का 129% है) के लाभांश की घोषणा पर भी विचार नहीं कर सके, क्योंकि लाभांश की घोषणा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को अपनाने के बाद ही की जा सकती है।
3. उक्त बैठक में, अन्य कार्यसूची मदों पर विचार करने के बाद, सदस्यों ने बैठक स्थगित करने और 31 दिसंबर 2024 तक तब तक सी & ए जी की टिप्पणियाँ प्राप्त होने पर इसे फिर से आयोजित करने का निर्णय लिया। लेखापरीक्षा किए गए स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर सी & ए जी की टिप्पणियाँ प्राप्त हो गई हैं और उनकी एक प्रति इस सूचना के साथ संलग्न है। अब, स्थगित 58वाँ वार्षिक सामान्य बैठक लेखापरीक्षा किए गए स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर विचार करने और लाभांश की घोषणा के लिए फिर से आयोजित की जा रही है। वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट में स्टैंडअलोन और समेकित लेखापरीक्षा किए गए वित्तीय विवरण और अन्य वैधानिक अनुबंध शामिल हैं, जिसे वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्यों के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से भेजी जा रही है।
4. इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीस ऑफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठक पर सचिवीय मानक (एसएस-2) के मानक संख्या 15.4 के प्रावधानों के अनुसार, उस स्थगित बैठक के लिए एक नई सूचना दी जा रही है, क्योंकि बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी।
5. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (इसके बाद में 'एमसीए' के रूप में संदर्भित) ने दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 13 जनवरी 2021, 05/05/2022, 25/09/2023 और 09/2024 के सामान्य परिपत्र सं. क्रमशः 14/2020 & 17/2020 (बाद में सामूहिक तौर पर 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित दिनांक 05 मई 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 के अनुसार वीसी/ओएवीएम के ज़रिए वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने की अनुमति दी। तदनुसार एमसीए परिपत्र और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी का एजीएम वीसी/ओएवीएम के ज़रिए आयोजित किया जा रहा है। यह एजीएम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित किया जाएगा।
6. चूंकि यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के ज़रिए आयोजित किया जा रहा है, सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति का परवह न की जाती है। तदनुसार सदस्यों कंपनी द्वारा व्यवस्थित वीसी/ओएवीएम सुविधा के ज़रिए एजीएम में भाग ले सकते हैं। कंपनी द्वारा सुनिश्चित करने के लिए यह ध्यान लिया गया है कि कंपनी द्वारा व्यवस्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा सभी सदस्यों को आसानी से भागीदारी के लिए दो तरफ टेलिकॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति देती है। सदस्यों को समवर्ती रूप से प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है या कंपनी सचिव के ई-मेल पते पर पहले से प्रश्न प्रस्तुत करेंगे।
7. बैठक में भाग लेने की सुविधा बैठक शुरू करने के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पहले खुली रखी जाएगी और ऐसे निर्धारित समय के बाद 15 मिनट की समाप्ति के बाद ही बंद किया जाएगा।
8. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के 103 के अनुसरण में सामान्य बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता, वीसी/ओएवीएम के ज़रिए आयोजित सामान्य बैठक के लिए भी बढ़ा दी गयी है। इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एजीएम में भाग ले रहे सदस्यों को बैठक के कोरम के लिए गिना जाएगा।
9. बैठक के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीके के संबंध में, संबंधित एमसीए परिपत्र यह निर्धारित किया जाता है कि यह कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के प्रावधानों पर आधारित होगा या परिपत्र में दिए गए तरीके से होगा। आपकी कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, बोर्ड के अध्यक्ष कंपनी की प्रत्येक सामान्य बैठक में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेंगे। तदनुसार बोर्ड का अध्यक्ष, इस एजीएम के लिए अध्यक्ष होगा।

Note regarding Adjourned Annual General Meeting:

1. The audited standalone & Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2024 could not be considered by the members at the 58th Annual General Meeting originally held on 23rd December 2024, since the supplementary audit report of the Comptroller and Auditor General (C&AG) on the audited Standalone and Consolidated Financial Statements in terms of the provisions of Section 143(6) of Companies Act, 2013 were not received. Subsequent to the AGM held on 23rd December 2024, CAG issued the supplementary audit report on the Standalone Financial Statements 2023-24 of HLL on 3rd January 2025. Thereafter, the CAG issued the supplementary audit report on the Consolidated Financial Statements 2023-24 of HLL on 6th February 2025.
2. The Members also could not consider the proposed declaration of dividend amounting to Rs.20Cr. for the financial year ended 31st March 2024 (*being 129 % of the paid-up share capital*) as the declaration of dividend could be done only after adoption of the audited financial statements of the Company for the FY 2023-24.
3. At the said meeting, after considering other agenda items, the members resolved to adjourn the meeting and reconvene the same by 31st December 2024 provided the comments of the C&AG is received by then. The comments of the C&AG on the audited standalone & consolidated Financial Statements have since been received and a copy of the same is enclosed with this notice. Now, the adjourned 58th Annual General Meeting is being re-convened to consider the audited standalone & consolidated Financial Statements and for declaration of dividend. The Annual Report for the year containing the Standalone & Consolidated Audited Financial Statement and other statutory annexure required to be laid before the members at the Annual General Meeting is being sent through E-mail to the shareholders.
4. In terms of the provisions of Standard No. 15.3 of 'Secretarial Standard on General Meeting (SS-2)' issued by the Institute of Company Secretaries of India, a fresh notice is being given for this adjourned meeting since the meeting was adjourned sine die.
5. Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as "MCA") has vide its General Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020 read together with General Circular Nos. 14/2020 & 17/2020 dated 08th April, 2020, 13th April, 2020, 13th January, 2021, 05/05/2022, 25/09/2023 & 09/2024 respectively (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), permitted the holding of Annual General Meeting through VC/OAVM. Accordingly, in accordance with the MCA Circulars and provisions of Companies Act 2013, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM. This AGM shall be deemed to be held at the Registered Office of the Company.
6. Since this AGM is being held through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the Members can join the AGM through VC/OAVM facility arranged by the Company. All care has been taken by the Company to ensure that the video conference facility arranged by the Company allows two-way teleconferencing for the easy participation of all the Members. The Members are allowed to ask questions concurrently or shall submit the questions in advance at the email address of the Company Secretary
7. The facility for joining the meeting will be kept open for 15 minutes before the scheduled time to start the meeting and will be closed only after the expiry of 15 minutes after such scheduled time.
8. As per the aforementioned MCA Circulars, the requirement of quorum for a general meeting in pursuance of 103 of Companies Act, 2013 has been extended for general meeting held through VC/OAVM also. Therefore, the Members attending AGM through video conference will be counted for the quorum of the meeting.
9. With regard to the manner of appointment of Chairman for the meeting, the relevant MCA circulars stipulates that either it shall be based on the provisions of Articles of Association of the Company or in the manner as provided in the Circular. As per the Articles of Association of your Company, the Chairman of the Board shall preside as Chairman at every general meeting of the Company. Accordingly, the Chairman of the Board will be the Chairman for this AGM.



10. सामान्यतः, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 105 के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने एवं मतदान करने के लिए हकदार सदस्य को इसमें भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सि को नियुक्त करने एवं उसकी ओर से मतदान देने के लिए हकदार है और प्रॉक्सि कंपनी के सदस्य होने की ज़रूरत नहीं है। चूंकि यह एजीएम वीसी/ओवीएम के ज़रिए आयोजित किया जा रहा है, सदस्यों के प्रत्यक्ष उपस्थिति की आवश्यकता के बिना काम चलाता है और फलस्वरूप प्रॉक्सियों की नियुक्ति के लिए सुविधा इस एजीएम के लिए लागू नहीं है।
11. सांविधिक लेखापरीक्षक या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि कंपनी द्वारा प्रदान की गई वीसी/ओवीएम सुविधा के ज़रिए एजीएम में भाग लेंगे।
12. जब आपकी कंपनी में सदस्यों की कुल संख्या 50 से कम है, इसलिए अध्यक्ष की सहमति से मतदान हाथ दिखाकार करने का निर्णय ले सकते हैं, जब तक कि किसी भी सदस्य द्वारा मतदान की मांग न की जाए। यदि कोई संकल्प पर बैठक के दौरान कोई मतदान किया जाना आवश्यक है तो सदस्यों को अपना मतदान कंपनी सचिव के ई-मेल आईडी jaikrishnanar@lifecarehll.com पर दे सकते हैं।
13. एमसीए परिपत्रों के अनुसार, एजीएम सूचना, वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेज़ शेरधारकों के ई-मेल पते में इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए भेजे जा रहे हैं।
14. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, सदस्यों के प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ़रेस के ज़रिए बैठक में भाग लेने और मतदान करने के उद्देश्य से नियुक्त किया जाएगा।
15. सूचना की प्रति कंपनी के वेबसाइट पर भी पोस्ट की जाएगी।
16. किसी भी प्रकार की सहायता के लिए सदस्य को व्यावसायिक घंटे के दौरान कंपनी सचिव से संपर्क कर सकता है। सदस्यों के अनुरोध पर, सांविधिक रजिस्टर/संबंधित दस्तावेज़ों का निरीक्षण इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

सेवा में

1. शेरधारक

1. भारत के राष्ट्रपति
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
3. अपर सचिव & वित्तीय सलाहकार - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
4. अपर सचिव- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
5. निदेशक (वित्त) प्रभारी - एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
6. निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन) - एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
7. निदेशक (विपणन) - एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड

2. सभी निदेशक

3. सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स श्रीधर & कंपनी
सनदी लेखाकार,
श्रीनिधि, टी सी 37/275,
पद्मतीर्थम, नोर्थ स्ट्रीट,
तिरुवनंतपुरम, केरल

4. सचिवालयीन लेखापरीक्षक

मेसर्स बी वी आर एसोसिएट्स, स्वास्तिका,
पहला तल, चिट्टेत हाउस,
पी सी रोड़, वैटिला पी.ओ,
कोचिन - 682019, केरल

10. Generally, pursuant to the provisions of the Section 105 of the Companies Act, 2013, a member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a member of the Company. Since this AGM is being held through VC/OAVM, the requirement of physical attendance of members is dispensed with and consequently the facility for appointment of proxies is not applicable for this AGM.
11. The Statutory auditor or his authorized representative will attend the AGM through VC/OAVM facility provided by the Company.
12. As the total number of members in your Company falls below 50, the Chairman may decide to conduct a vote by show of hands, unless a demand for poll is made by any member. If a poll is required to be taken during the meeting on any resolution, the members may convey their vote at the Email id of the Company Secretary at jaikrishnanar@lifecarehll.com
13. In line with the MCA Circulars, AGM Notice, financial statements and other documents are being sent through electronic mode to the e - mail addresses of the shareholders.
14. In pursuance of section 112 and section 113 of the Companies Act, 2013 representatives of the Members shall be appointed for the purpose of participation and voting in the meeting through video conference.
15. A copy of the notice will also be posted on the website of the company.
16. For any assistance, a member may contact the Company Secretary during business hours. Upon request of members, the inspection of statutory register/related documents can be made available through electronic mode.

To

1. Shareholders

1. The President of India
2. Secretary, Ministry of Health & Family Welfare
3. Additional Secretary & Financial Advisor – Ministry of Health & Family Welfare
4. Additional Secretary – Ministry of Health & Family Welfare.
5. Director (Finance) i/c – HLL Lifecare Ltd.
6. Director (Technical & Operations) – HLL Lifecare Ltd
7. Director (Marketing) – HLL Lifecare Ltd.

2. All Directors

3. Statutory Auditors

M/s.Sridhar & Co.,
Chartered Accountants, Sreenidhi,
TC.37/275, Padmatheertham, North
Street, Trivandrum, Kerala

4. Secretarial Auditors

M/s BVR & Associates "Swastika",
First Floor, Chitteth House, PC
Road, Vytilla P.O, Cochin-682019,
Kerala